न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 19 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भींयाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी शम्भूसर (भींयाड़) तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.शेराराम पुत्र लिखमाराम के वारिसान
1/1मगाराम पुत्र स्व0 शेराराम
1/2ठाकराराम पुत्र स्व0 शेराराम
1/3चैनाराम पुत्र स्व0 शेराराम
1/4भूराराम पुत्र स्व0 शेराराम
2.मोहनराम पुत्र अमराराम
3.हुकमाराम पुत्र अमराराम
4.लालाराम पुत्र अमराराम
5.भारमलराम पुत्र लिखमाराम
6.चेनाराम पुत्र खरथाराम
7.गोपुराम पुत्र खरथाराम
8.सुजाराम पुत्र नवलाराम
9.भगवानाराम पुत्र मानाराम
10.श्रीमती धुड़ी देवी पत्नी मानाराम
11.विशनाराम पुत्र गेनाराम के वारिसान
11/1हनुमानराम पुत्र विशनाराम
11/2लाखाराम पुत्र विशनाराम
11/3श्रीमती हीरोदेवी पत्नी विशनाराम
उतरदाता संख्या 11/2 लाखारा नाबालिग जरिये कु0 वलिया माता उतरदाता संख्या 11/3 हीरो देवी
12.करनाराम पुत्र डालुराम
13.श्रीमती केसी देवी पत्नी डालुराम जाति जाट निवासी शम्भूसर (भीयाड़) तहसील शिव जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के प्रकरण संख्या 223ए/2017 बअनवान मोहनराम वगै. बनाम भींयाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को एक अपीलाधीन आदेश पारित किया गया कि अपीलांट को अन्तरीम स्थगन ता फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है किन्तु खातेदार अपने–अपने रकबा अनुसार विधि विहित प्रावधानों से ऋण अनुदान, के सी सी आदि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमाना, अनुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध और सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सम्यक तामिल एवं सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को एक अपीलाधीन आदेश पारित किया गया कि अपीलांट को अन्तरिम स्थगन ता फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है किन्तु खातेदार अपने–अपने रकबा अनुसार विधि विहित प्रावधानों से ऋण अनुदान, के सी सी आदि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमाना, अनुचित व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध और सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलांट के पक्ष में है। वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों से व आवेदन में वर्णित अभिवचनों से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में साबित होता है और अपीलांट का उपरोक्त खसरे की भूमि में जन्म से ही हक बनता है और अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात होने से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति हो रहीं है। सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है यदि अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश, के सी सी के सम्बन्ध में जारी को देख कर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति नहीं रखते हुए तथा कृषि कार्य करने में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं करे उस हेतु रेस्पोडेंट के द्वारा पारित करवाया गया आदेश सर्वथा विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखत न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2006 Page 413
RRT 2014(1) Page 523

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 का वास्तविक ज्ञान नकल प्रदान करने पर दिनांक 02.04.2019 को हुआ तथा तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील वास्तविक ज्ञान होने पर पेश की जा सकती है तथा यह भी मत है कि मियाद के तकनीकी बिंदु के कारण अगर न्याय दफन होता हो तो पहले न्याय को महत्व दिया जाना चाहिऐ उसके सामने परिसीमा गौण है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अपीलांट ग्राम शंभूसर के खेत खसरा संख्या 1072/915 रकबा 63.02 बीघा रिकॉर्डेड अकेला खातेदार है। रेस्पोडेंट पक्ष बावजूद सम्यक तामील उपस्थित नहीं हुए है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आलोक में एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा 188, 91 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत वाद में उन्होंने स्वीकार भी है कि विभाजन के बाद में फाईनल डिक्री होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है जिसमें वादग्रस्त खेत का खसरा संख्या 1072/915 शंभूसर का भी उल्लेख है। अपीलांट पृथक खातेदारी खेत का खातेदार है इसलिए उसके खातेदारी हक–हकूकों और उपयोग/उपभोग के अधिकारों में दखल देने का कोई हक रेस्पोडेंटस को प्राप्त नहीं होता। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के उक्त खसरा संख्या 1072/915 रकबा 63.02 बीघा ग्राम शंभूसर के संबंध में विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा प्रकरण संख्या 223ए/2017 बअनवान मोहनराम वगै. बनाम भींयाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 को उक्त आराजी खसरा संख्या 1072/915 रकबा 63.02 बीघा के संबंध में खारिज किया जाता है।

12/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner